FROM No.III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु (नियम 26)

अज अदालत...... मुकाम......

छिरताराम बनाम डीपा कौरा

किस्म मुकदमा राज०का०अ० 111,128 RTRACT नं. 246/18 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जोगेन्द्र कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RTRACT राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/12/18 को पेश हो।	
17/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 31/12/18 को पेश हो।	
31/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/01/2019 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:04:20 IST
Reason: SelfAttested

14/01/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/04/19 को पेश हों।

16/04/19

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दोपहर डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/07/19 को पेश हो।

29/07/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 05/11/19 को पेश हों।

05/11/19

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/01/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

20/01/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 03/03/2020 को पेश हों।

03/03/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/05/2020 को पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:04:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/07/2020 को पेश हो।	
22/07/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 28/10/2020 को पेश हों।	
28/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनु./ प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत नेड़ा नेड़ आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मार्क व मेड़ें आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत के नेड़ों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के नेड़ों को लेकर हमेशा तनाव बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के नेड़ों का सही ज्ञान करने हेतु नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी [illegible] शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:04:20 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व अहकाम की ता... जारी हु...

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 896 दिनांक :– 28/10/2020

राजस्व आवेदन संख्या –246 / 2018

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
श्री किरताराम पुत्र जोधाराम जाति–जाट निवासी–मेहराजाणियों की बेरी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री दीपा पुत्र वीरू वगैरा 38, निवासी–मेहराजाणियों की बेरी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा–मुकनोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल–भीमडा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 817 / 765 रकबा 42.06 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 897-902 दिनांक :– 28/10/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, भीमडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किरताराम पुत्र जोधाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री दीपा पुत्र वीरू वगैरा 38।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:04:20 IST
Reason: SelfAttested